



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011

दूरभाष 0755-2554821 & 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
सर्वोच्च लेखा संस्थान
Dedicated to Truth in Public Interest

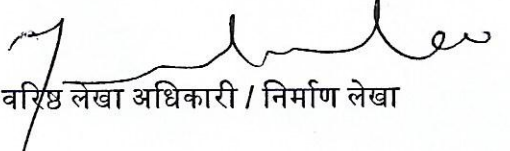
क्र./नि.ले.-I/का.आ./2025-26/D -104

दिनांक :13.06.2025

कार्यालय आदेश

CPWA Code के para 22.4.18 के अनुसार संभागीय लेखा अधिकारी को मासिक लेखे एवं संकलित समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यह देखा गया है कि कुछ संभागों के मासिक लेखा प्रेषित करने के दौरान संभागीय लेखा अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण मासिक लेखे पर उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में समस्त वरिष्ठ संभागीय लेखा अधिकारी/संभागीय लेखा अधिकारी एवं I/ संभागीय लेखापाल को यह निर्देशित किया जाता है कि अवकाश से लौटने के उपरांत मासिक लेखे के सही होने की पुष्टि करें अन्यथा यदि मासिक लेखे कोई त्रुटी पाई जाती है तो आवश्यक सुधार कर सम्बंधित पुनरीक्षित प्रपत्र हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को प्रेषित करें।

(प्राधिकार : उप महालेखाकार (निर्माण लेखा) के आदेश दिनांक :13.06.2025)


वरिष्ठ लेखा अधिकारी / निर्माण लेखा